



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 491 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतित्वार, जुलाई 19, 2001/आषाढ़ 28, 1923

No. 491 ]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2001/ASADHA 28, 1923

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2001

का. आ. 688(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3घ की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, में दिनांक 17 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 387(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

अधिसूचना की अनुसूची में भाग-ग के समक्ष और उसमें की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को निकाला जायेगा अर्थात् :—

- क्र. सं. 1 से 22 तक से संबंधित प्रविष्टियां निकाली जायेंगी।
- क्र. सं. 23 के भूमि संख्या के खाने से 1000/भाग, 1001/भाग, 1002/भाग, 1003/भाग, 1004/भाग और 1005/भाग से संबंधित प्रविष्टियां निकाली जायेंगी।

[फा. सं. एनएचआई/11014/3डी(1)/2001/तक./जीएम(ई-II)]  
एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2001

S.O. 688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Surface Transport (Department of Road Transport and Highways), No. S.O. 387(E) dated 17th April, 2000, namely :—

In the Schedule to the said Notification, in Part 'C',—

- S. Nos. 1 to 22 and the entries relating thereto shall be omitted;
- In S. No. 23, in column Plot number, 1000/Part, 1001/Part, 1002/Part, 1003/Part, 1004/Part and 1005/Part and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. NHAI/11014/3D(1)/2001/Tech./G.M.(E-II)]  
S. C. SHARMA, Director General (Road Development)  
and Addl. Secy.

